सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 22, मंगलवार, *शाके* 1941–फरवरी 11, 2020 *Magha 22, Tuesday, Saka 1941–February 11, 2020*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2020

एफ. 13 (4)विशा/विस 2020/:-राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक (संशोधन), 2020 जैसा कि दिनांक 11 फरवरी, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक सं.4

राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (विधेयक, 20 20

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है -:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -.(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (अधिनियम, 2020 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ,इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार ,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ,नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 2का संशोधन -.राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं ,(9 .जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ,की धारा 2 के खण्ड)4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी "से पूर्व ,अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," अंत:स्थापित की जायेगी।

3. 2017के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 10 का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 10में,-

(i (उप-धारा)1) में ,विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-.** द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है ,जमाओं ,उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य को ,राज्य में के आवर्त के मूल्य अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।" ;

(ii (उप-धारा)2) में-,

)क (अंग्रेजी पाठ में खण्ड)घ (के अन्त में आये विद्यमान शब्द "and" को हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड)ङ (के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":"के स्थान पर अभिव्यक्ति ;" और "प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड)ङ (के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्-:

"(च (वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है ,न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(iii (विद्यमान उप-धारा)2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3)से पूर्व ,निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्-:

"(2क (इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा)3) और)4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा)1) और उप-धारा)2) के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है ,जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है, उसके द्वारा धारा 9 की उप-धारा)1) के अधीन संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर, जो विहित की जाये ,किन्तु जो राज्य में के आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, संगणित कर की रकम संदत्त करने का विकल्प चुन सकेगा, यदि वह-

(क (किन्हीं ऐसे माल या सेवाओं, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं हैं ,के किसी प्रदाय में नहीं लगा है;

(ख (माल या सेवाओं के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय में नहीं लगा है;

(ग (किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे किसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिसके लिए धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है;

(घ (ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है, जो सरकार द्वारा ,परिषद् की सिफारिशों पर ,अधिसूचित की जायें; और

(ङ (कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति नहीं है:

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के पास आय-कर अधिनियम, 1961 1961)का केन्द्रीय अधिनियम सं (43 .के अधीन जारी एक ही स्थायी खाता संख्यांक है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक स्कीम

के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प नहीं चुनते हैं।";

(iv (उप-धारा)3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा)1) के अधीन" ,जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)या ,यथास्थिति, उप-धारा)2क (के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v (उप-धारा)4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा)1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)या ,यथास्थिति, उप-धारा)2क(" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi (उप-धारा)5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा)1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)या ,यथास्थिति, उप-धारा)2क (के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vii (विद्यमान उप-धारा)5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात्-:

"**स्पष्टीकरण.1**- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदत्त करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक ,जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, किये गये प्रदायों का मूल्य सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ,जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है ,जमाओं ,उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य में के आवर्त "में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा ,अर्थात्-:

(i) किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक ,जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है ,के प्रदाय का मूल्य; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है , जमाओं ,उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य।"।

2017 .4के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 22का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा)1) में, -

)i (द्वितीय परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ":"प्रतिस्थापित किया जायेगा ;और

)ii (इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्-:

"परन्तु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर ,ऐसे प्रदायकर्ता के मामले में जो अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है ,ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जो अधिसूचित की जायें ,संकलित आवर्त को बीस लाख रुपये से ऐसी रकम तक ,जो चालीस लाख रुपये से अधिक न हो ,बढ़ा सकेगी।

स्पष्टीकरण-. इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ माना जायेगा चाहे वह ,जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है ,जमाओं ,उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय में लगा हुआ हो।"।

2017 .5के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 25का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा)6) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (7)से पूर्व ,निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी ,अर्थात्-:

")6क (प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर-भीतर ,जो विहित किया जाये ,आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाये ,पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी:

परन्तु यह और कि आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन कराने या उसके कब्जे का सबूत देने या पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जायेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख (अधिसूचना की तारीख से ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से ,जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये ,आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यष्टि को ऐसी रीति से ,जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये ,पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6ग (अधिसूचना की तारीख से ही ,किसी व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, भागीदारों, संगम की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासियों के बोर्ड ,प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग के आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति से ,जो सरकार द्वारा , परिषद् की सिफारिशों पर ,उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये ,पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6घ (उप-धारा)6क (या उप-धारा)6ख (या उप-धारा)6ग (के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य के ऐसे भाग पर लागू नहीं होंगे, जो सरकार द्वारा ,परिषद् की सिफारिशों पर ,अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण-. उप-धारा)6क) ,(6ख) ,(6ग (और 6)घ (के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो उसे आधार)वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान (अधिनियम, 2016 2016)का केन्द्रीय अधिनियम सं (18 .की धारा 2 के खण्ड)क (में समनुदेशित किया गया है।"।

2017 .6के राजस्थान अधिनियम सं .9 में नयी धारा 31क का अंत:स्थापन -.मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31 के पश्चात् और विद्यमान धारा 32से पूर्व ,निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्-:

"**31क .प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा-.** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा किये गये माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध करायेगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किये जायें, अध्यधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प देगा।"।

2017 .7के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 39का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 39में,-

(i (विद्यमान उप-धारा)1) और)2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-:

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर ,संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की ,ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, राज्य में के आवर्त ,माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर ,संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की ,ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।"; और

(ii (विद्यमान उप-धारा)7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ,अर्थात्-:

"(7) उप-धारा)1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा)1) या उप-धारा)3) या उप-धारा)5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है ,ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर ,ऐसी अंतिम तारीख ,

जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है ,के अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा :

परन्तु उप-धारा (1)के परन्तुक के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु यह और कि उप-धारा (2)के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान ,राज्य में के आवर्त ,माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा।"।

2017 .8के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 44का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 44की उप-धारा (1)के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात् ,निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्-:

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ,अधिसूचना द्वारा ,रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ,जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"।

2017 .9के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 49का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 49 में, विद्यमान उप-धारा)9 (के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्-:

"(10 (कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कॉमन पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी अन्य रकम का ,एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलेक्ट्रानिक नकद खाते में ,ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अंतरण कर सकेगा और ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय समझा जायेगा।

(11) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी रकम को इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उप-धारा)1) में यथा उपबंधित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जायेगा।"।

2017 .10के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 50का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा)1) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात् ,निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्-:

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् ,किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के ,जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर ,जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है ,उद्गृहीत किया जायेगा।"।

2017 .11के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 52का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

)i (उप-धारा (4)में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात् , निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे ,अर्थात्-:

"परन्तु आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ,अधिसूचना द्वारा , रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ,जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये ,विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"; और

(ii (उप-धारा)5) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात् , निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे ,अर्थात्-:

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से ,जो अभिलिखित किये जायेंगे ,अधिसूचना द्वारा ,रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"।

2017 .12के राजस्थान अधिनियम सं .9 में नयी धारा 53क का अंतःस्थापन-. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 11से पूर्व ,निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात-:

"**53क .कतिपय रकम का अंतरण-.** जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से ,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या माल और सेवा कर)राज्यों को प्रतिकर (अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां सरकार ,केन्द्रीय कर लेखे या एकीकृत कर लेखे या उपकर लेखे में, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के बराबर रकम ,ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, अंतरित करेगी।"।

2017 .13के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 54का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 54में विद्यमान उप-धारा)8) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी ,अर्थात-:

"8)क (जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय को संवितरित कर दिया है ,वहां सरकार इस प्रकार प्रतिदत्त रकम के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को अंतरित करेगी।"।

2017 .14के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 95का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 95में,-

(i) खण्ड)क (में-

(क (विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा ,किसी आवेदक को "से पूर्व ,अभिव्यक्ति "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(ख (विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 100 की उप-धारा)1(" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में माल या सेवाओं "से पूर्व ,अभिव्यक्ति "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग "अंत:स्थापित की जायेगी ;और

(ii) खण्ड)ङ (में ,अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "। "के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात् , निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्-:

"(च' ('राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"।

2017 .15के राजस्थान अधिनियम सं .9 में नयी धारा 101क का जोड़ा जाना-. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 101 के पश्चात् और विद्यमान धारा 102से पूर्व ,निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी ,अर्थात्-:

"**101क .केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण होना -.** इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा।"।

2017 .16के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 102का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 102में-,

(i (विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" ,जहां कहीं भी आयी हो ,के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii (विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 98या धारा 101" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्रमश :धारा 98या धारा 101या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii (विद्यमान अभिव्यक्ति "या अपीलार्थी द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ,अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा " प्रतिस्थापित की जायेगी।

2017 .17के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 103 का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा)1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2)से पूर्व ,निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्-:

"(1क (इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा-

(क (ऐसे आवेदकों पर, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ख की उप-धारा)1) के अधीन विनिर्णय की वांछा की थी और ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास आय-कर अधिनियम, 1961 1961)का केन्द्रीय अधिनियम सं (43 .के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है;

)ख (खण्ड)क (में निर्दिष्ट आवेदकों ,और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों , जिनके पास आय-कर अधिनियम 1961) 1961 ,का केन्द्रीय अधिनियम सं (43 .के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है ,के संबंध में संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर।" ;

(ii) उप-धारा)2) में ,विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा)1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)और उप-धारा)1क(" प्रतिस्थापित की जायेगी।

2017 .18के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 104 का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 104की उप-धारा (1)में-,

(i (विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii (विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 101 की उप-धारा)1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 101की उप-धारा (1)के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

2017 .19के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 105का संशोधन -.मूल अधिनियम की धारा 105में-,

(i (विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-:

"**प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां-.**";

(ii (उप-धारा)1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी ;और

)iii(उप-धारा 2)) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" ,जहां कहीं भी आयी हो ,के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

2017 .20के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 106का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 106में-,

(i (विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-:

"**प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया-.**"; और

(ii (विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

2017 .21के राजस्थान अधिनियम सं .9 की धारा 171का संशोधन-. मूल अधिनियम की धारा 171में विद्यमान उप-धारा)3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी ,अर्थात्-:

"(3क (जहां उप-धारा)2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ,उक्त उप-धारा के अधीन यथा अपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात् ,इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप-धारा)1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गयी रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु यदि ,प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर मुनाफाखोरी की गयी रकम जमा करा दी जाती है तो कोई भी शास्ति उद्गृहणीय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-. इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए ,अभिव्यक्ति "मुनाफाखोरी" से वह रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में कमी का फायदा माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित की गयी है।"।

.22निरसन और व्यावृत्तियां (1) **-.**राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (अध्यादेश 2019 , 2019)का अध्यादेश सं (5 .इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)ऐसे निरसन के होने पर भी ,उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें ,कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्-:

(i) विधेयक का खण्ड 2 ,"न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" की परिभाषा में अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" को अंत:स्थापित करने हेतु, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 2 के खण्ड)4) को संशोधित करने के लिए ईप्सित

है ताकि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की परिभाषा से उस प्राधिकरण को अपवर्जित किया जा सके।

(ii) विधेयक का खण्ड ,3राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 10 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि सेवाओं के प्रदायकर्ता या मिश्रित प्रदायकर्ताओं)जो पूर्वतर प्रशमन स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं(, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये तक है, के लिए वैकल्पिक प्रशमन स्कीम का उपबंध किया जा सके।

(iii) विधेयक का खण्ड ,4राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 22 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि ऐसे किसी प्रदायकर्ता के मामले में ,जो अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है ,उच्चतर छूट सीमा को बीस लाख रुपये से बढ़ाकर चालीस लाख रुपये से अनधिक की रकम तक करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(iv) विधेयक का खण्ड ,5राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 25 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का आशय रखते हैं या प्राप्त कर चुके हैं, के लिए ऐसी रीति से ,जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाये ,आज्ञापक रूप से आधार संख्यांक प्रस्तुत करने या उसका अधिप्रमाणन कराने के लिए उपबंध किया जा सके।

(v) विधेयक का खण्ड ,6राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,में ,यह उपबंधित करने के लिए कि प्रदायकर्ता अपने प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदायों के लिए सुविधा उपलब्ध करायेगा ,एक नयी धारा 31क को अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

(vi) विधेयक का खण्ड ,7राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 39 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि ऐसे करदाता द्वारा, जो प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेता है, वार्षिक विवरणियां देने के लिए और कर के त्रैमासिक रूप से संदाय किये जाने के लिए उपबंध किया जा सके और करदाताओं के कतिपय अन्य प्रवर्ग के लिए, प्रस्तावित नयी विवरणी फाइल किये जाने की प्रणाली के अधीन त्रैमासिक और मासिक रूप से संदाय के लिए विकल्प हेतु उपबंध किया जा सके।

(vii) विधेयक का खण्ड ,8राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 44 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को विस्तारित करने के लिए आयुक्त को सशक्त किया जा सके।

(viii) विधेयक का खण्ड 9 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 49 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि करदाता को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में किसी रकम को अंतरित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

(ix) विधेयक का खण्ड ,10राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 50 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि सिवाय उन मामलों के, जहां ऐसी विवरणी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी

जाती है ,केवल शुद्ध नकद कर दायित्व पर ही ब्याज प्रभारित किये जाने का उपबंध किया जा सके।

(x) विधेयक का खण्ड 11 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 52 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने के लिए आयुक्त को सशक्त किया जा सके।

(xi) विधेयक का खण्ड 12 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,में एक नयी धारा 53क का अंतःस्थापन करने के लिए ईप्सित है जिससे कि धारा 49 के अधीन करदाता को दी गयी नयी सुविधा के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच इलैक्ट्रानिक नकद खाते में रकम के अंतरण के लिए उपबंध किया जा सके।

(xii) विधेयक का खण्ड 13 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 5 4को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि इस प्रकार प्रतिदत्त रकम के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को अंतरित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा सके।

(xiii) विधेयक का खण्ड 14 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 95 के खण्ड)क (को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि "अग्रिम विनिर्णय" की परिभाषा में "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" को सम्मिलित किया जा सके। यह खण्ड "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" को परिभाषित करने के लिए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में एक नया खण्ड)च(जोड़ने के लिए भी ईप्सित है।

(xiv) विधेयक का खण्ड 15 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,में एक नयी धारा 101क को अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है। यह नयी धारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथागठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाने के लिए उपबंध करने हेतु ईप्सित है।

(xv) विधेयक का खण्ड 16 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 102 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को उस धारा की परिधि के भीतर लाया जा सके जिससे उसे अपने अग्रिम विनिर्णय में सुधार करने के लिए सशक्त किया जा सके।

(xvi) विधेयक का खण्ड 17 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 103 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि यह उपबंधित किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय ऐसे आवेदकों पर जो सुभिन्न व्यक्ति हैं और समस्त ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर ,जिनके पास एक ही स्थायी खाता संख्यांक है और उक्त आवेदकों तथा एक ही स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर आबद्धकर होगा। इसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि जब तक कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ,ऐसा विनिर्णय आबद्धकर होगा।

(xvii) विधेयक का खण्ड 18 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 104 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है ,वहां वह शून्य होगा।

(xviii) विधेयक का खण्ड 19 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 105 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(xix) विधेयक का खण्ड ,20राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 106 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(xx) विधेयक का खण्ड ,21राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 171 को ,उसमें नयी उप-धारा 3)क (अंतःस्थापित करने हेतु ,संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि उसकी उप-धारा)2) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी को मुनाफाखोरी की गयी रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था ,इसलिए उन्होंने 28 दिसम्बर 2019 ,को राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (अध्यादेश 2019) 2019 ,का अध्यादेश सं (5 .प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र ,असाधारण ,भाग)4ख (में दिनांक 30 दिसम्बर 2019 ,को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत :विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207के खण्ड (1)और (3)के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

)प्रितलिपि :संख्या प (7)2 .विधि 2020/2/जयपुर ,दिनांक 8 फरवरी2020 ,

प्रेषक :अशोक गहलोत ,प्रभारी मंत्री ,प्रेषिति :सचिव ,राजस्थान विधान सभा ,जयपुर(

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207के खण्ड (1)एवं (3)के प्रसंग में ,मैं ,राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन(विधेयक 2020 ,को राजस्थान विधान सभा में पुर :स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन (विधेयक 2020 ,में राजस्थान की समेकित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 10 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। उक्त खण्ड का उप-खण्ड)iii(, उसमें नयी उप-धारा)2क (अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो सरकार को ,परिषद् की सिफारिशों पर ,उक्त उप-धारा के अधीन कर की रकम की संगणना करने के प्रयोजन के लिए राज्य में के आवर्त की तीन प्रतिशत से अनधिक की दर विहित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खण्ड 4 ,राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 22 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि तृतीय परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके, जो सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे प्रदायकर्ता के मामले में, जो अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है और कतिपय शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए ,जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, संकलित आवर्त को बीस लाख रुपये से बढ़ाकर ऐसी उच्चतर रकम तक ,जो चालीस लाख रुपये से अधिक न हो, करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड 5, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 25 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उसमें नयी उप-धाराएं)6क(,)6ख(,)6ग (और)6घ (अंतःस्थापित की जा सकें। उक्त उप-धारा)6क(, सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर ,ऐसा प्ररूप और रीति और समय ,जिसके भीतर-भीतर ,रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करवायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा और यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसी रीति, जिससे ऐसे व्यक्ति को पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी, का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खण्ड 6, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,में एक नयी धारा 31क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो सरकार को, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग ,जो उसके द्वारा किये गये माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध करायेगा ,और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसे तरीके से ,ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो ऐसे नियमों में उपबंधित किये जायें , संदाय करने का विकल्प देगा ,के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खण्ड 7, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 39 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, ताकि उक्त धारा की उप-धारा (2) ,(1)और (7)को प्रतिस्थापित किया जा सके जिससे नयी विवरणी प्रणाली के लिए उपबंध किया जा सके और विवरणी में दी जाने

वाली विशिष्टियों ,प्ररूप ,रीति और समय ,जिसके भीतर-भीतर विवरणी फाइल की जा सकेगी ,के बारे में नियम बनाने के लिए सरकार को सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 9, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 49 में नयी उप-धारा)10) और)11) अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो सरकार को ,किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए कॉमन पोर्टल पर उक्त अधिनियम के अधीन कर ,ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी अन्य रकम का एकीकृत कर, केंद्रीय कर ,राज्य कर या उपकर के लिए इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित करने के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है और ऐसा अंतरण प्रतिदाय समझा जायेगा।

विधेयक का खण्ड 12, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,में एक नयी धारा 53क अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो सरकार को, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर , जिनका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम को केन्द्रीय कर खाते या एकीकृत कर खाते या उपकर खाते में अंतरित करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खण्ड 13, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,की धारा 54 में एक नयी उप-धारा)8क (अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो इस प्रकार प्रतिदत्त रकम के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को अंतरित करने के लिए सरकार को सशक्त करती है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 4 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In clause (4) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression "the Appellate Authority for Advance Ruling," and before the existing expression "the Appellate Authority", the expression "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the existing second proviso, the following Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation.-** For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.";

(ii) in sub-section (2),-

(a) in clause (d), the existing word ''and'' occurring at the end shall be deleted;

(b) in clause (e), for the existing punctuation mark ":" occurring at the end, the expression "; and" shall be substituted;

(c) after clause (e) so amended, the following clause shall be added, namely:-

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person.";

(iii) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2),whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1)of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not-

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.";

(iv) in sub-section (3), for the existing expression "under sub-section (1)" wherever occurring, the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;

(v) in sub-section (4), for the existing expression "sub-section (1)", the expression "sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;

(vi) in sub-section (5), for the existing expression "under sub-section (1)", the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted; and

(vii) after the existing sub-section (5), the following Explanations shall be added, namely:-

"Explanation 1.-For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression "aggregate turnover" shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.-For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression "turnover in State" shall not include the value of following supplies, namely:-

(i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

4. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 22 of the principal Act,-

(i) in second proviso, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the second proviso so amended, the following shall be added, namely:-

"Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.".

5. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 25 of the principal Act, after the existing sub-section (6) and before the existing sub-section (7), the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

"(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or offer alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C)shall not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.- For the purposes of sub-sections 6(A), 6(B), 6(C) and 6(D), the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services)Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016).".

6. Insertion of new section 31A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 31 and before the existing section 32 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**31A. Facility of digital payment to recipient.-** The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-sections (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

''(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax

payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.''; and

(ii) for the existing sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

"(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.".

8. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

9. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act, after the existing sub-section (9), the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).".

10. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 50 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.".

11. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act,-

(i) in sub-section (4),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner."; and

(ii) in sub-section (5), for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.".

12. Insertion of new section 53A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 53 and before the existing Chapter XI of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**53A. Transfer of certain amount.-** Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.".

13. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act, after the existing sub-section (8), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government."

14. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 95 of the principal Act,-

(i) in clause (a)-

(a) after the existing expression "Appellate Authority" and before the existing expression "to an applicant", the expression "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the existing expression "of section 100" and before the existing expression ",in relation to", the expression ",or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act" shall be inserted; and

(ii) in clause (e),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(f) "National Appellate Authority" means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.".

15. Addition of new section 101A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 101 and before the existing section 102 of the principal Act, the following new section shall be added, namely:-

"**101A. National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Central Goods and Services Tax Act to be the National Appellate Authority under this Act.-** Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.".

16. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 102 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "Appellate Authority" wherever occurring, the expression "Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted;

(ii) after the existing expression "or section 101" and before the expression ", so as to rectify", the expression "or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, respectively" shall be inserted; and

(iii) for the existing expression "or the appellant Within", the expression ", appellant, the Authority or the Appellate Authority Within" shall be substituted.

17. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 103 of the principal Act,-

(i) after the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) The Advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

(a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101Bof the Central Goods and Services Tax Act and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);

(b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961(Central Act No. 43 of 1961).";

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "sub-section (1)", the expression "sub-section (1) and sub-section (1A)" shall be substituted.

18. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (1) of section 104 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "the Authority or the Appellate Authority", the expression "the Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "section 101", the expression "section 101 or under section 101Cof the Central Goods and Services Tax Act" shall be substituted.

19. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 105 of the principal Act,-

(i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.-**";

(ii) in sub-section (1), for the existing expression "The Authority or the Appellate Authority", the expression "The Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted; and

(iii) in sub-section (2), for the existing expression "Authority or the Appellate Authority" wherever occurring, the expression "Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted.

20. Amendment of section 106, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 106 of the principal Act,-

(i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-

"**Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.-**"; and

(ii) for the existing expression "Appellate Authority", the expression "Appellate Authority or the National Appellate Authority" shall be substituted.

21. Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 171 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.".

22. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 5 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make provisions for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2020, *inter alia*, provides for the following, namely:—

(i) *Clause 2* of the Bill seeks to amend clause (*4*) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to insert the expression "the National Appellate Authority for Advance Ruling" in the definition of "adjudicating authority" so as to exclude that authority from the definition of adjudicating authority.

(ii) *Clause 3* of the Bill seeks to amend section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for alternative composition scheme for supplier of

services or mixed suppliers (not eligible for the earlier composition scheme) having an aggregate turnover in preceding financial year up to rupees fifty lakh.

(iii) *Clause 4* of the Bill seeks to amend section 22 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for higher threshold exemption limit from rupees twenty lakh to such amount not exceeding rupees forty lakh in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods.

(iv) *Clause 5* of the Bill seeks to amend section 25 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for mandatory Aadhaar number submission or authentication for persons who intend to take or have taken registration under the said Act in such manner as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

(v) *Clause 6* of the Bill seeks to insert a new section 31A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to provide that supplier shall provide facility for digital payments to his recipient.

(vi) *Clause 7* of the Bill seeks to amend section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for furnishing of annual returns and for quarterly payment of tax by taxpayer who opts for composition levy and to provide for certain other category of tax payers, an option for quarterly and monthly payments under the proposed new return filing system.

(vii) *Clause 8* of the Bill seeks to amend section 44 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing annual return.

(viii) *Clause 9* of the Bill seeks to amend section 49 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide facility to the taxpayer to transfer an amount from one head to another in the electronic cash ledger.

(ix) *Clause 10* of the Bill seeks to amend section 50 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for charging interest only on the net cash tax liability, except in those cases where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or 74 of the Act.

(x) *Clause 11* of the Bill seeks to amend section 52 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the Commissioner to extend the due date for furnishing of monthly and annual statement by the person collecting tax at source.

(xi) *Clause 12* of the Bill seeks to insert a new section 53A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for transfer of amount in the electronic cash ledger between the Centre and States as a consequence of the new facility given to the tax payer under section 49.

(xii) *Clause 13* of the Bill seeks to amend section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the State Government to transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.

(xiii) *Clause 14* of the Bill seeks to amend clause (a) of section 95 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to include "the National Appellate Authority" in the definition of "advance ruling". It also seeks to add a new clause (f) in section 95 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act to define "National Appellate Authority".

(xiv) *Clause 15* of the Bill seeks to insert new section 101A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. The new section seeks to provide for the National Appellate Authority for Advance Ruling as constituted under the Central Goods and Services Tax Act deemed to be National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.

(xv) *Clause 16* of the Bill seeks to amend section 102 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to bring the National Appellate Authority within the ambit of that section to empower it to rectify its advance ruling.

(xvi) *Clause 17* of the Bill seeks to amend section 103 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be binding on the applicants, being distinct persons and all registered persons having the same Permanent Account Number and on the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the said applicants and the registered persons having the same Permanent Account Number. It also provides that the ruling shall be binding unless there is a change in law or facts.

(xvii) *Clause 18* of the Bill seeks to amend section 104 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be void where the ruling has been obtained by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts.

(xviii) *Clause 19* of the Bill seeks to amend section 105 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that the National Appellate Authority shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 for the purpose of exercising its powers under the Act.

(xix) *Clause 20* of the Bill seeks to amend section 106 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that the National Appellate Authority shall have power to regulate its own procedure.

(xx) *Clause 21* of the Bill seeks to amend section 171 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to insert new sub-section (3A) therein so as to empower the Authority referred to under sub-section (2) thereof to impose penalty equivalent to ten per cent. of the profiteered amount.

Since, the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 5 of 2019) on 28th December, 2019, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 30th December, 2019.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207के खण्ड (1)और (3)के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

)प्रितलिपि :संख्या प (7)2 .विधि 2020/2/जयपुर ,दिनांक 8 फरवरी2020 ,

प्रेषक :अशोक गहलोत ,प्रभारी मंत्री ,प्रेषिति :सचिव ,राजस्थान विधान सभा ,जयपुर(

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207के खण्ड (1)एवं (3)के प्रसंग में ,मैं ,राजस्थान माल और सेवा कर)संशोधन(विधेयक 2020 ,को राजस्थान विधान सभा में पुर :स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2020 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to amend section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Sub-clause (iii) of the said clause seeks to insert new sub-section (2A) therein which empowers the Government on the recommendations of the Council to prescribe the rate not exceeding three per cent of the turnover in State for the purpose of calculating the amount of tax under the said sub-section.

Clause 4 of the Bill seeks to amend section 22 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to insert a third proviso which empowers the Government on the recommendations of the Council, to enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to a higher amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods and subject to certain conditions and limitations as may be specified in the notification.

Clause 5 of the Bill seeks to amend section 25 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to insert new sub-sections (6A), (6B), (6C) and (6D) therein. The said sub-section (6A) empowers the Government to provide for the form and manner and the time within which a registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number and on the recommendations of the Council provide in case such person is not assigned Aadhaar number, then the manner in which an alternate and viable means of identification may be offered to such person.

Clause 6 of the Bill seeks to insert a new section 31A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 which empowers the Government on the recommendations of the Council to make rules to provide for a class of registered person who shall provide prescribed mode of electronic payment to the recipient of the supply of goods or services or both made by him and give option to the recipient to make payment in the mode, in the manner and subject to the conditions and restrictions as may be provided in such rules.

Clause 7 of the Bill seeks to amend section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, so as to substitute sub-sections (1), (2) and (7) of said section to provide for a new return system and empower the Government to make rules regarding the particulars to be furnished in the return, the form, manner and time within which the return may be filed.

Clause 9 of the Bill seeks to insert new sub-sections (10) and (11) in section 49 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 which empowers the Government to make rules to provide for the form, manner, conditions and restrictions for a registered person to transfer on the common portal any amount of tax, interest, penalty, fee or any amount available in the electronic cash ledger under the said Act to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess, and such transfer shall be deemed to be a refund.

Clause 12 of the Bill seeks to insert a new section 53A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 which empowers the Government to transfer to the Central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger in the manner and within the time provided by the rules.

Clause 13 of the Bill seeks to insert a new sub-section (8A) in section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to empower the Government to transfer an amount equal to the amount so refunded to the Central Government.

The matters in respect of which the rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

Further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।